संख्याः /IV(1)2017–03(न0वि0)/2001

प्रेषक,

राधिका झा,
प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 12 जुलाई 2017

विषय–स्थानीय निकायों/निगमों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 136 प्रतिशत (एक सौ छत्तीस) मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–98/XXVII (7)02/2010 दिनांक 17.05.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 132 प्रतिशत से बढ़ाकर 136 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप के पृष्ठांकन में यह उल्लेख किया गया है कि प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

2:– अतः वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के अनुक्रम में स्थानीय निकायों/निगमों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 136 (एक सौ छत्तीस) प्रतिशत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाए।

3:– उक्तानुसार दरों के संशोधन के फलस्वरूप धनराशि का वहन सम्बन्धित निकाय/निगम द्वारा स्वयं अपने वित्तीय श्रोतों से किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

4:– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–98/XXVII (7)02/2010 दिनांक 17.05.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(राधिका झा),
प्रभारी सचिव।

TD (SKS)

Scanned by CamScanner